

(135)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
॥ कार्यालय आदेश ॥

सं०सं०-04/HFA-16/2016- **486** /न०वि०एवं०आ०वि०, पटना दिनांक- **26/10/16**

सबके लिए आवास (शहरी) HFA योजना के अधीन राज्य के 40 नगर निकायों (क्रम सं०-1 से 40) में स्वीकृत (लाभार्थी आधारित आवास निर्माण घटक) योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश की राशि 7344.02 लाख रू० (General) कार्यालय आदेश सं०-318 सह पठित ज्ञापांक-1459 दिनांक-22.07.16 द्वारा विमुक्त की जा चुकी है। योजनान्तर्गत TSP मद एवं SCSP मद में राशि विमुक्त की जानी है।

कार्यालय आदेश सं-338 सहपठित ज्ञापांक-1609 दिनांक-01.08.16 द्वारा राज्य के 36 नगर निकायों (क्रम सं०-41-58 एवं 60-77) में स्वीकृत (लाभार्थी आधारित आवास निर्माण घटक) योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश की राशि 7911.99 लाख रू० (General) विमुक्त की जा चुकी है। योजनान्तर्गत TSP मद एवं SCSP मद में राशि विमुक्त की जानी है।

विभागीय पत्रांक-1620 दिनांक-01.08.16 द्वारा राज्य के 9 नगर निकायों (क्रम सं०-58 एवं 78-85) को योजनान्तर्गत लाभार्थी आधारित आवास निर्माण घटक योजना के कार्यान्वयन हेतु बजट उपबंध के अभाव में प्रति लाभक रू० 50000/- नगर निकाय के आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। उक्त राशि के समतुल्य राशि का समायोजन विभाग द्वारा किया जाना है। अर्थात् इन 9 नगर निकाय (क्रम सं०-57 एवं 78-85) को General, TSP एवं SCSP मद राशि विमुक्त की जानी है। इन नगर निकायों के लिए बजट उपबंध (केन्द्रांश) प्राप्त हो चुका है तथा राशि की निकासी की गयी है।

अतः योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ-2 में अंकित 85 नगर निकायों के सम्मुख अंकित क्रमशः स्तम्भ-5 की राशि General मद में, स्तम्भ-6 की राशि TSP मद में एवं स्तम्भ-7 की राशि SCSP मद में विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख रू० में)

क्र. सं.	नगर निकाय का नाम	स्वीकृत आवास की सं०	पूर्व विमुक्त केन्द्रांश (प्रथम किस्त) की राशि	विमुक्त केन्द्रांश (प्रथम किस्त) की राशि			
				General मद में	TSP मद में	SCSP मद में	कुल योग (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैरगनिया	51	20.21	0.00	0.02	10.37	10.39
2	बखरी	225	124.35	0.00	0.00	10.64	10.64
3	बलिया	211	115.31	0.00	0.00	11.29	11.29
4	बड़हिया	98	49.44	0.00	0.03	9.33	9.36
5	बेलसण्ड	670	395.52	0.00	0.00	6.48	6.48
6	बिहिया	100	53.52	0.00	1.06	5.41	6.47
7	भागलपुर	709	351.26	0.00	1.31	72.83	74.14
8	बीहट	375	205.63	0.00	0.34	19.03	19.37
9	चकिया	100	53.59	0.00	0.01	6.40	6.41

132

10	चनपटिया	75	40.97	0.00	0.15	3.88	4.00
11	छपरा	562	299.44	0.00	0.70	37.06	37.76
12	डुमराँव	500	287.32	0.00	1.39	11.28	12.67
13	गोगरी जमालपुर	257	147.96	0.00	0.01	6.23	6.24
14	हाजीपुर	304	126.77	0.00	0.12	55.51	55.63
15	हिलसा	508	290.12	0.00	0.03	14.65	14.68
16	हिसुआ	160	82.22	0.00	0.01	13.77	13.78
17	ईसलामपुर	40	15.77	0.00	0.00	8.23	8.23
18	झाझा	200	107.14	0.00	0.49	12.37	12.86
19	झंझारपुर	500	293.00	0.00	0.02	6.98	7.00
20	खगड़िया	500	291.46	0.00	0.11	8.43	8.54
21	खगौल	45	9.83	0.00	0.49	16.68	17.17
22	खुशरूपुर	500	293.99	0.00	0.03	5.99	6.02
23	किशनगंज	458	245.39	0.00	1.99	27.42	29.41
24	लखीसराय	145	62.87	0.00	0.22	23.91	24.13
25	महारजगंज	808	480.32	0.00	0.91	3.57	4.48
26	मैरवा	105	58.53	0.00	1.21	3.26	4.47
27	मुरलीगंज	786	462.71	0.00	0.06	8.83	8.89
28	निर्मली	60	31.59	0.00	0.00	4.41	4.41
29	फुलवारीशरीफ	319	176.60	0.00	0.17	14.62	14.79
30	राजगीर	300	153.82	0.00	0.05	26.13	26.18
31	रीविलगंज	100	50.12	0.00	0.19	9.69	9.88
32	शिवहर	550	321.64	0.00	0.03	8.33	8.36
33	शेरघाटी	60	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
34	तेघरा	100	50.06	0.00	0.02	9.92	9.94
35	ठाकुरगंज	484	285.82	0.00	1.38	3.21	4.59
36	बिहारशरीफ	396	180.79	0.00	0.09	56.72	56.81
37	मसौढ़ी	304	167.21	0.00	0.03	15.16	15.19
38	सहरसा	1000	571.42	0.00	0.52	28.06	28.58
39	सीतामढ़ी	500	288.93	0.00	0.07	11.00	11.07
40	सुल्तानगंज	150	79.19	0.00	0.02	10.79	10.81
41	अमरपुर	149	84.56	0.00	0.01	4.83	4.84
42	अररिया	215	110.08	0.00	0.34	18.58	18.92
43	अरेराज	214	122.62	0.00	0.08	5.70	5.78
44	औरंगाबाद	42	1.34	0.00	0.09	23.78	23.87
45	बगहा	152	70.13	0.00	1.92	19.15	21.07
46	बहादूरगंज	830	489.30	0.00	0.68	8.02	8.70
47	बख्तियारपुर	636	365.67	0.00	0.06	15.87	15.93
48	बांका	200	107.57	0.00	0.26	12.16	12.42
49	बरबीघा	244	130.04	0.00	0.05	16.30	16.35
50	बेगूसराय	400	170.53	0.00	0.35	69.12	69.47
51	बेनीपुर	500	275.18	0.00	0.29	24.53	24.82
52	बोधगया	110	36.96	0.00	0.08	28.97	29.05

*

133

53	दरलसिंहसराय	56	20.98	0.00	0.15	12.46	12.61
54	दाउदनगर	50	14.98	0.00	0.05	14.97	15.02
55	डुमरा	411	242.38	0.00	0.03	4.20	4.23
56	फतुहा	350	192.16	0.00	0.04	17.81	17.85
57	गया	1249	643.06	0.00	0.72	105.62	106.34
58	घोघरडीहा	408	241.10	0.00	0.00	3.70	3.70
59	जमालपुर	54	0.00	(-)3.38	1.75	34.03	32.40
60	जहानाबाद	195	89.24	0.00	0.15	27.61	27.77
61	कांटी	1561	924.04	0.00	0.01	12.56	12.57
62	कसबा	216	122.31	0.00	2.65	4.64	7.29
63	केसरीया	300	172.76	0.00	0.03	7.20	7.23
64	मधुबनी	340	192.29	0.00	0.08	11.63	11.71
65	मखदूमपुर	294	160.57	0.00	0.06	15.77	15.83
66	मेहसी	429	251.36	0.00	0.00	6.04	6.04
67	मौकामा	200	96.71	0.00	0.13	23.16	23.29
68	मोतिपुर	280	158.22	0.00	0.00	9.78	9.78
69	मुंगेर	816	456.65	0.00	0.50	32.45	32.95
70	मुजफ्फरपुर	769	398.59	0.00	1.30	61.51	62.81
71	नरकटियागंज	362	206.24	0.00	0.05	10.81	10.86
72	नवीनगर	305	171.39	0.00	0.41	11.20	11.61
73	नवादा	276	160.71	0.00	0.03	4.86	4.89
74	नवगछिया	636	365.42	0.00	0.08	16.10	16.18
75	नोखा	150	82.30	0.00	0.01	7.70	7.71
76	पीरो	500	293.39	0.00	0.04	6.57	6.61
77	रफीगंज	500	291.06	0.00	0.03	8.91	8.94
78	रकसौल	464	0.00	271.53	0.07	6.80	278.40
79	समस्तीपुर	260	0.00	133.30	0.53	22.17	156.00
80	शाहपुर	84	0.00	45.00	0.17	5.23	50.40
81	शेखपुरा	144	0.00	62.79	0.08	23.52	86.39
82	सोनपुर	800	0.00	468.33	0.17	11.49	479.99
83	सुगौली	270	0.00	154.44	0.11	7.46	162.01
84	सुपौल	155	0.00	77.56	0.11	15.34	93.01
85	वारसलीगंज	325	0.00	182.44 + 3.38 =185.82	0.07	9.08	194.97
	कुल	30216	15256.01	1395.39	27.11	1437.26	2859.76

(अट्ठाईस करोड़ उनसठ लाख छिहत्तर हजार रू० मात्र)

- नगर पंचायत शेरघाटी की योजना माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण नगर पंचायत शेरघाटी को राशि विमुक्त नहीं की जा रही है।
- स्वीकृत्यादेश सं०-61 दिनांक-15.09.16 एवं आवंटनादेश सं०-62 दिनांक-15.09.16 में अंकित शर्तों के अनुरूप जमालपुर नगर परिषद के General मद की राशि (-) 3.38 लाख रू० का समायोजन वारसलीगंज नगर परिषद के General मद में कर दिया गया है।

132

4. नगर निकाय के सम्मुख स्तम्भ 8 में अंकित केन्द्रांश (प्रथम किस्त) की कुल राशि संबंधित नगर निकाय को आवंटित की जाती है। आवंटित राशि का उपयोग योजना के कार्यान्वयन हेतु किया जाय। किसी भी तरह का विचलन स्वीकार्य नहीं होगा।
5. योजना की पूर्णता एवं गुणवत्ता सर्वोपरि है। स्वीकृत राशि का व्यय HFA योजना के अधीन निर्गत मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर निर्गत भारत सरकार एवं विभागीय दिशा-निदेश के अनुरूप करने के लिए संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
6. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (42ए) विहित प्रपत्र में बुडा को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।
7. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

अपर सचिव-सह-निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/HFA-16/2016 2378

पटना, दिनांक 26/10/16

प्रतिलिपि:-उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि RTGS के माध्यम से स्वीकृत राशि संबंधित नगर निकाय के द्वारा उपलब्ध कराये गये राष्ट्रीकृत बैंक खाता में भेजने की कार्रवाई करें।

अपर सचिव-सह-निदेशक।